न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह,
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 815–पीबीआर/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–3–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण कमांक 231/अपील/2009–10.

.....

1– जसवंत सिंह आत्मज लल्लीराम यादव
निवासी ग्राम कड़ैया खुर्द
तहसील हुजूर जिला भोपाल
2– तेजनारायण शर्मा आत्मज बाबूलाल शर्मा
निवासी गांधी नगर, भोपाल
3– राजू मालवीया आत्मज फूलचंद मालवीया
4– श्रीमती लीलाबाई पत्नी राजू मालवीया
दोनों निवासीगण नेहरू नगर, रोड बलदारपुरा
शासकीय अस्पताल के पीछे भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

रूप सिंह आत्मज निर्भयसिंह
निवासी टांडा
तहसील बेरसिया जिला भोपाल .....अनावेदक

श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री धीरेन्द्र मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 11 अप्रैल, 2014)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–3–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक कमांक 2, 3 एवं 4 द्वारा तहसील न्यायालय, बैरसिया, जिला भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि कृषि भूमि सर्वे कमांक 232 रकबा 1.00 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 236 रकबा 0.380 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 237 रकबा 1.130 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 246 रकबा 1.340 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 247 रकबा 0.270 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 249 रकबा 0.210 हेक्टेयर का उनके द्वारा आवेदक कमांक 1 से सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर आधिपत्य प्राप्त कर लिया गया है, और दिनांक 18–1–2008 को पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित करा लिया गया है । अतः प्रश्नाधीन भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में आवेदक कमांक 1 के स्थान पर उनके नाम दर्ज किए जायें । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 19/अ–6/2007–08 दर्ज किया जाकर दिनांक 13–10–2008 को आदेश पारित कर आवेदक कमांक 2, 3 एवं 4 के पक्ष में नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 13–10–2008 से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के समक्ष दिनांक 3–7–2009 को अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई एवं विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–9–2009 को आदेश पारित कर विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं पाते हुए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, साथ ही अपील समाधानकारक एवं अपुष्ट तथा ठोस आधारों के बिना प्रस्तुत किए जाने के कारण निरस्त की गई तथा तहसीलदार के आदेश दिनांक 13–10–2008 की पुष्टि की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21–3–2011 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 30–9–2009 निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–6–2007 के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण किया जाये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की ओर से अपर आयुक्त के समक्ष इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी

कि प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में व्यवहार वाद प्रचलित है, अतः व्यवहार वाद के निराकरण तक कार्यवाही स्थगित की जाये, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण की आपत्ति पर बिना विचार किए आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि लोक अदालत में फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके अनावेदक द्वारा समझौता किया गया है, जिसकी अपील लंबित है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 16–6–2007 को व्यवहार न्यायालय में समझौता हुआ है, और समझौता के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि आवेदक कमांक 1 द्वारा अनावेदक को विकय की जानी थी, परन्तु ऐसा न कर आवेदक कमांक 1 द्वारा आवेदक कमांक 2, 3 एवं 4 को विकय करने में अवैधानिकता की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदक द्वारा दिनांक 24–12–2008 को इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि दिनांक 18–1–2008 को निष्पादित विकय पत्र विधि विरूद्ध सम्पादित कराये जाने के कारण शून्य है, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमियों पर अनावेदक का स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य है, जिसकी जानकारी सभी को है । विकेता आवेदक कमांक 1 एवं अनावेदक के मध्य सिविल वाद प्रचलित हुआ था, जिसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 19–5–2007 एवं 16–6–2007 को अनावेदक के पक्ष में अर्वाड पारित किया गया है, जो कि अंतिम है । अतः यदि नामांतरण किया जाता है तब व्यवहार न्यायालय के आदेश की अवहेलना होगी एवं अनावेदक के हितों का हनन होगा । तहसील न्यायालय द्वारा अपने आदेश में अनावेदक की आपत्ति का कोई निराकरण नहीं किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–10–2008 के विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रथम अपील दिनांक 3–7–2009 को लगभग 8 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–9–2009 को आदेश पारित अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई है । इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूर्णतः विधिसंगत है कि चूंकि प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में अनावेदक के पक्ष में व्यवहार न्यायालय द्वारा इस आशय का अवार्ड पारित किया गया है

कि अनावेदक द्वारा पंजीयन व्यय अदा करने पर प्रश्नाधीन भूमियों का विकय पत्र पंजीयन करा दे, अन्यथा अनावेदक जरिये न्यायालय विकय पंजीयन कराने का पात्र होगा, इसके पश्चात भी प्रश्नाधीन भूमि का विकय आवेदक कमांक 1 द्वारा आवेदक कमांक 2, 3 एवं 4 को किया गया है, अतः प्रकरण का निराकरण गुण–दोष पर किया जाना आवश्यक है । क्योंकि व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदक के पक्ष में अवार्ड पारित करने से और उक्त आपत्ति को तहसील न्यायालय द्वारा नजरअंदाज करने से विधि की गंभीर उपेक्षा हुई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस महत्वपूर्ण वैधानिक बिन्दु पर बिना विचार किए समय–सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया गया है, जिसे विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता है । अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर प्रकरण व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 16–6–2007 के परिप्रेक्ष्य में गुण–दोष के आधार पर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–3–2011 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर